भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *172
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना

***172. श्री सेल्वाराज वी :**

श्री सुब्बारायण के :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में लगभग 16 वर्ष पहले ग्राम न्यायालयों (ग्रामीण न्यायालयों) की स्थापना करने के लिए एक कानून अधिनियमित किया था ताकि घर-घर जाकर न्याय प्रदान किया जा सके और विचारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित होते मामलों को निपटाने में सहायता मिल सके,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में कितने ग्राम न्यायालयों की आवश्यकता है और कितने ग्रामीण न्यायालय स्थापित किए गए हैं और कितने ग्रामीण न्यायालय कार्य कर रहे हैं; और

(घ) ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं तथा देश में और अधिक ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *172, जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : भारत विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में नागरिकों की उनके निकटतम स्थान पर न्याय तक सस्ती और त्वरित पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, तारीख 02 अक्तूबर, 2009 से प्रवृत्त हुआ । अधिनियम, नागरिकों की उनके निकटतम स्थान पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नागरिक सामाजिक, आर्थिक या अन्य नि:शक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित तो नहीं हो रहा है, का उपबंध करता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का विवरण **https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/19258/1/gram_nyayalay_act_2008.pdf** पर उपलब्ध है ।

(**ग) :** वर्ष 2009-10 के बजट प्राक्कलन में एक योजना स्कीम, अर्थात "ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता" का उपबंध किया गया था । संसद् में ग्राम न्यायालय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना से संबंधित सभी गैर-आवर्ती व्ययों को केंद्रीय सरकार वहन करेगी । इसने यह भी निर्णय लिया कि ग्राम न्यायालयों के पहले 3 वर्षों के लिए आवर्ती व्यय को केंद्रीय सरकार राज्यों के साथ साझा करेगी और उसके पश्चात् के संपूर्ण आवर्ती व्यय राज्य वहन करेंगे ।

मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सरकार एक बार के उपाय के रूप में गैर-आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए प्रति ग्राम न्यायालय 18.00 लाख रुपये प्रदान करती है और पहले 3 वर्षों के दौरान प्रति न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए इन न्यायालयों के आवर्ती व्यय का 50% वहन करती है । अब तक 15 राज्यों द्वारा 481 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 10 राज्यों में 309 ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील कर दिया गया है ।

(घ) : कतिपय अध्ययनों के अनुसार, ग्राम न्यायालयों की स्थापना में धीमी प्रगति के मुख्य कारणों में, कई राज्यों में न्यायाधिकारियों के पद न भरना, लोक अभियोजकों, नोटरियों की अनुपलब्धता और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की सामान्य कमी, ग्राम न्यायालयों का सीमित धन-संबंधी अधिकार क्षेत्र, अपर्याप्त कर्मचारी, राज्यों से अपर्याप्त वित्तीय सहायता, विधिक और राज्य अधिकारियों की अनिच्छा और सामाजिक जागरूकता की कमी शामिल है । इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों के संबंध में धीमी गति से आगे बढ़ने का एक और कारण नियमित न्यायालयों के साथ ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार का मुद्दा भी है । इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में पंचायत स्तर पर काम करने वाली ग्राम न्यायालयों की अपनी समानांतर प्रणाली है ।

देश में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए, तारीख 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालयों को स्थानीय मुद्दों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी संभव हो, ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यह एक स्वैच्छिक योजना है । केंद्रीय सरकार नियमित आधार पर पहले से अधिसूचित ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील करने के लिए बैठकों के माध्यम से राज्यों से आग्रह कर रही है ।

****